शासनादेश संख्या 0214/70–4/2000–7(7)/94 दिनांक 04 फरवरी 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत..... विभाग में नियुक्त शिक्षक (प्रथम पक्ष) एवं विश्वविद्यालय (द्वितीय पक्ष) के मध्य सम्पादित अनुबन्ध पत्र

1) विश्वविद्यालय एतद्द्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार डॉ0/श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनांक ..... से जब से प्रथम पक्ष का पक्षकार (जिसे आगे शिक्षक कहा गया है) अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षक नियुक्ति करता है, और शिक्षक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन छात्रों की परीक्षा अनुशासन बनाये रहना, किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य कलाप के सम्बन्ध में छात्र कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्येत्तर कर्त्यव्यों का पालन करना भी है, जो उसे सौपें जायें, ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने, जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाये। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षकों की आचरण संहिता का, जैसा की समय–समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता/देती है।

2) शिक्षक की संविदा के आधार पर नियुक्ति..... पद पर की गई है। शिक्षक द्वारा किये जा रहे संविदा की अवधि दिनांक..... से ..... तक मान्य होगी।
3) सम्बन्धित शिक्षक को रू0 ..... प्रति माह निर्धारित मानदेय देय होगा तथा वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार शिक्षक के मानदेय एवं वार्षिक मानदेय में परिवर्तन/वृद्धि (5-8%) अनुमन्य होगी जो की उ0प्र0 शासन के महंगाई भत्ता आदेशों के अनुपालन में निर्धारित होगा।
4) उपरोक्त मानदेय एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसका संगठन निम्नवत् होगाः (1) मा0 कुलपति अथवा उनके नामिनी, (2) डीन/संकाय निदेशक/विभागाध्यक्ष, (3) विषय–विशेषज्ञ।
5) संविदा अवधि समाप्त होने के बाद सम्बन्धित शिक्षक का सेवा विस्तार मा0 कुलपति द्वारा गठित समिति विश्वविद्यालय द्वारा ''शैक्षिक पदों में पदोन्नति हेतु निर्धारित नियमावली एवं वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया'' के आधार पर किया जायेगा।
6) सम्बन्धित विभाग में शिक्षकों की आवश्यकता एवं वित्त उपलब्धता के आधार पर ही सेवा–विस्तार का निर्धारण होगा।
7) संविदा अवधि के पूरे होने पर अथवा उसके पूर्व किसी भी समय पद की आवश्यकता समाप्त हो जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित शिक्षक के अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिये सम्बन्धित शिक्षक को कोई विशेष भुगतान देय नहीं होगा।
8) संविदाधारक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि यदि वह संविदा अवधि अथवा किसी भी शैक्षणिक सत्र के मध्य में संविदा तोड़कर जाता है, तो उसे संविदा समाप्त करने के लिएए यथा स्थिति कम से कम तीन माह पूर्व नोटिस दी जायेगी या ऐसी नोटिस के बदले में तीन माह (या उपर्युक्त अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायेगा, परन्तु विश्वविद्यालय किसी शिक्षक को पदच्युत करे या हटाये या उसकी सेवाये समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय

द्वारा उसकी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समाप्त करे, वहां ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी।

9) शिक्षक इस करार के प्रवृत्त रहने पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या स्ववित्तपोषित योजना में नियुक्ति सम्बन्धी सम्यक शासनादेशों के अधीन विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

10) शिक्षक एत्दद्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करने एवं उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

11) किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अथवा उपर्युक्त बिन्दु 8 की दशा में शिक्षक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र अभिलेख और अन्य वस्तुयें जो उसको निर्गत की गयी हों, विश्वविद्यालय को वापस कर देगा।

12) यदि प्रश्नगत पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के मानकों के आधार पर संचालित किया जाना सम्भव न हो, तो इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जायेगा तथा संविदा पर रखे गये शिक्षकों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13) समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व शासनादेश क्रमांक 0214/70–1/2000–7(7)/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 द्वारा जिन्हें समाविष्ट और उस प्रकार से इस करार का भार समझा जायेगा मानो वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों, उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे। यदि किसी समय उपर्युक्त शासनादेश संशोधित होता है, तो उक्त संशोधित प्राविधान संविदाधारक पर कार्यपरिषद के विनिश्चय के उपरांत लागू होंगे।

14) संविदाधारक शिक्षक के कार्य व आचरण को संतोषजनक न पाये जाने, विश्वद्यिालय द्वारा सौपे गये कर्तव्यों/दायित्वों के समुचित रूप से सम्पादन न कर पाने, अनुशासनहीनता, लापरवाही बरतने, विधि विरूद्ध आचरण करने या अपराधिक कृत्य में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव उसे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सेवा से पृथक कर सकेंगे, जिसके एवज में कोई अग्रिम मानदेय देय नहीं होगा।

15) स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को दिये जा रहे मासिक मानदेय की कुल परिलब्धियों को आधार मानकर यात्रा–भत्ता देय होगा।

16) विश्वविद्यालय के ऐसे संविदाधारक शिक्षक को नियमानुसार शैक्षिक कैलेण्डर वर्ष में समय–समय पर लिये गये शासन एवं कार्यपरिषद के निर्णय के अनुरूप अवकाश देय होंगे।

17) शिक्षक को शिक्षण तथा परीक्षा कार्य के साथ आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के समय–समय पर अन्य कार्य भी दिये जा सकते हैं, जिसके लिये अतिरिक्त परिश्रमिक देय न होगा।

शिक्षक के हस्ताक्षर
नाम
पद
विभाग
(प्रथम पक्ष)

वित्त अधिकारी
छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय, कानपुर

साक्षी 1. हस्ताक्षर
नाम
विभागाध्यक्ष
सम्बन्धित विभाग का पूरा नाम

साक्षी 2.

परिशिष्ट ख''

(परिनियम..... और ..... देखिये)

शिक्षकों के लिये आचरण संहिता

अतः जो शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवको के चरित्र निर्माण एवं बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में जो विश्वास उसके निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस शिक्षक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वहन, समर्पण, नैतिक– निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत–प्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनायी जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जायें।

1. प्रत्येक शिक्षक अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।
2. कोई शिक्षक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।
3. कोई भी शिक्षक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरूद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।
4. कोई भी शिक्षक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेदभाव नहीं करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
5. कोई भी शिक्षक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को करने से इन्कार नहीं करेगा।
6. कोई भी शिक्षक, सेवारत एवं सेवाच्युत होने के उपरांत भी यथास्थिति, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध मे प्राधिकृत न हो।
7. कोई भी शिक्षक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक, गृहशिक्षा(ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षायें नहीं चलायेगा।
8. कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान के लिये बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।
9. शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी शिक्षक जहॉ तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।
10. निरन्तर अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।
11. यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा महामहिम के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेशित छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एव पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।
12. लोकतन्त्र, देश भक्ति और शांति के आदर्शो के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदरभाव उत्पन्न करेगा।
13. ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा, जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो।
14. महिलाओ के प्रति सम्मान प्रकट करेगा तथा कोई भी ऐसा कृत्य नही करेगा जिससे महिला की गरिमा प्रभावित हो।

शिक्षक के हस्ताक्षर

नाम

पद

विभाग